24.1.18

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत ।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीयागण रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 4 ने अदालत मातहत में दावा घोषणार्थ दुरूस्ती रेकार्ड, खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देसूसर में पुराने ख0नं0 74 रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा, ख0नं0 76 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, ख0नं0 127 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा, ख0नं0 126 रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा, ख0नं0 66/2 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा, ख0नं0 57/1 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा, ख0नं0 57/2 रकबा 2 बिस्वा स्थित है । जिसका खातेदार काश्तकार वादीगण का दादा भींवा था । इसके अलावा दूसरी आराजी ग्राम सेडूराम की ढाणी में पुराने ख0नं0 131 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा, ख0नं0 146 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा, ख0नं0 185 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा पुख्ता स्थित है जिसका भी खातेदार काश्तकार वादीगण का दादा भींवा राम था। पैरा संख्या-1 के नवीन ख0नं0 305 से 311, 313 से 320, 173, 173/379, 174/380, 175/386, 249 366, से 368, 183 से 189 बने हैं तथा पैरा संख्या-2 में दर्ज गत खसरा नं0 के हाल खसरा नं0-13, 20, 64 65, 68, 69, 70, 79, 80, 81, 84 बने हैं ।

उक्त आराजी वादिगण एवं प्रतिवादीगण की पैत्रिक भूमियां है। पैत्रिक भूमियों में जन्म से ही हक अधिकार है ।उक्त आराजी भींवा की खातेदारी में थी जिसके दो पुत्र आशाराम व नौरंगराम हुये जिसमें इनका 1/2, 1/2 हक हिस्सा हुआ । आशा राम की मृत्यु होने पर 1/2 हिस्से में वादिया प्रत्येक का 1/7, 1/7 हिस्सा है किन्तु वादियो भाईयों ने राजस्व कर्मचारियो से विधि विरूद्ध साजकर राजस्व रेकार्ड मे अकेले अपने नाम करवा लिया जो वादिया के हक हिस्से तक शून्य है । अतः वादियो को उक्त विवादित आराजी मे प्रत्येक को 1/7, 1/7 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित की जाकर खाता विभाजन किया जावे । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादिया का दावा स्वीकार कर वादीगण प्रत्येक को 1/7, 1/7 का खातेदार काश्तकार घोषित कर तहसीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाये जाने के निर्देश दिये इस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है ।अदालत मातहत ने प्रभावित खातेदारों की तामिल चस्पांदगी से मानकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित आदेश पारित किया है । विवादित आराजी परअपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट अपने हक हिस्सा के मुताबिक दर्ज हैं व काबिज है । अदालत मातहत के समक्ष विवादित आराजी का भरा गया नामा0सं0-82 ग्राम देसुसर ग्राम पंचायत प्रतापपुरा दिनांक 24-4-69 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 4 ने अदालत मातहत में अपील सं0-2/2013 पेश की जो दिनांक 14-7-2014 को खारिज हो गई । जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 4 ने सम्भागीय आयुक्त

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	अपनाया जाकर आदेश पारित किया गया है । आदेशिका दिनांक 6-7-15 की निर्णय से पूर्व कोई पालना नहीं की गई । इस पेशी पर रेस्पो0 सं0 9, 14, 17, 18, 22से27· 33, 34, 36, 38 की अपूर्ण तामिल प्राप्त। इसके बाद की ओर्डशीट में न तो यह दर्ज किया कि इनके नोटिस पेश किये जावे तथा न ही इनके नोटिस वापस प्राप्त हुये यह अंकन है । दिनांक 22-8-16 को बिना किसी विधिक प्रक्रिया के उक्त प्रतिवादीगण की तामिल मानकर एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित कर अपना निर्णय दिया है ।तथा दिनांक 22-6-15 को जिन प्रतिवादीगण की तामिल हुई उनके विरूद्ध तो किसी प्रकार की एकपक्षीय कार्य--वाही भी अमल में नहीं लाई गई ।वादीगण की ओर से कोई वकालतनामा अदालत मातहत की पत्रावली में शामिल नहीं है। इसके बावजूद अदालत मातहत ने लिख दिया कि वकील वादीगण उपस्थित। जब वादीगण की ओर से वकालतनामा ही नहीं है तो वकील उपस्थित कैसे हो सकते हैं । किन्तु अदालत मातहत ने अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने का कोई आदेश पारित नहीं किया । इसके बाद भी अपीलान्ट को जबाब दावा एवं सुनवाई का कोई अवसर न देकर आदेश पारित किया है । जिसको हम प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित मानते हुये पुनः अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं कि वह पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें ।अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी झुन्झुनू का निर्णय एवं डिक्री दि0 22-8-16 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण	

विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही नहीं की गई। इसके बावजूद अदालत मातहत ने अपीलान्ट का a जबाब लिये बिना ही आदेश पारित कर दिया । जिसमें अपीलान्ट को बिना सुने ही आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है । अदालत मातहत में निर्णय के समय वादीगण/रेस्पोडेन्ट सं0-1 से कोई हाजिर नहीं थे । अदालत मातहत ने निर्णय मे वकील वादीगण उपस्थित दर्ज किया है जबकि वादीगण की ओर से अदालत मातहत मे कोई वकील ही नियुक्त नही कियागया । इस प्रकार अदालत मातहत ने बिना वादीगण की उपस्थिति के आदेश पारित किया है जो विधि के विपरित है ।वादीगण के उपस्थित नहीं होने पर दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में ही खारिज करना चाहिये था । इस प्रकार अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री विधि के विपरित है । विवादित आराजी में रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 4 को प्रत्येक को 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया है जबकि इतना हिस्सा विवादित आराजी में इनका बनता ही नहीं है ।इतना ही नहीं रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 4 का विवादित आराजी में कोई हक हिस्सा नहीं है न किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध है ।इसके बाद भी योग्य अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 4 का 1/7, 1/7 हिस्सा मानने में कानूनी भूल की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 28-2-2018 को उपस्थित होवें । निर्णय सरे इजलास सुनाया गया । 18 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	